# प्रेस नोट

भिवानी ( ) सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) विशेष अवसर परीक्षा जनवरी–2021 हेतु कम्पार्टमैंट एवं अतिरिक्त विषय परीक्षार्थियों के प्रवेश–पत्र दिनांक 12.01.2021 से होगें लाईव!

सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी विशेष अवसर परीक्षा जनवरी–2021 हेतु सैकेण्डरी के 15847 एवं सीनियर सैकेण्डरी के 10213 परीक्षार्थियों के द्वारा उक्त परीक्षा के लिए ऑन–लाईन आवेदन किया गया है तथा सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी के कुल 26060 परीक्षार्थियों के द्वारा यह परीक्षा दी जानी है तथा सभी पात्र परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र दिनांक 12.01.2021 को बाद दोपहर बोर्ड की वैबसाईट पर अपलोड होगें। स्वयंपाठी (कम्पार्टमैंट एवं अतिरिक्त विषय) परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड वैबसाईट **www.bseh.org.in** पर दिए गए लिंक से पिछले अनुक्रमांक/नाम/पिता का नाम/माता का नाम/रजिस्ट्रेशन आई0डी0 भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षार्थी प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिन्ट **A4 Size Paper** पर ही निकालना सुनिश्चित करें। प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिन्ट लेने उपरान्त विवरणों को भली भाँति जांच लें यदि विवरणों में जैसे फोटो/हस्ताक्षर इत्यादि में कोई त्रुटि है तो दिनांक 13.01.2021 से 15.01.2021 तक शुद्धि से सम्बन्धित मूल दस्तावेज एवं वांछित शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर शुद्धि करवा सकते हैं। परीक्षा के बाद फोटो, हस्ताक्षर सम्बंधी त्रुटि ठीक नहीं की जाएगी । यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारणवश रोका गया है तो वे परीक्षा से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर आकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए प्रवेश पत्र जारी करवा सकते है। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा से 30 मिनट पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। सरकार द्वारा कोरोना (Covid-19) के सम्बन्ध में जारी हिदायतों की पालना करते हुए परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर अपना मास्क, सेनिटाईजर (पारदर्शी छोटी शीशी) एवं पानी की बोतल साथ लेकर आयेंगे। स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपने मूल आधार कार्ड एवं रंगीन प्रवेश पत्र सहित परीक्षा केन्द्र पर पहुंचेगें। यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में सम्बन्धित दस्तावेज लेखक हेतु प्रस्तुत करते हुए अनुमति पत्र अवश्य लें। बोर्ड के अनुमति पत्र के बिना लेखक मान्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी द्वारा किसी अन्य/दूसरे के स्थान पर परीक्षा में प्रवेश होना/परीक्षा देना एक दण्डनीय अपराध है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई जा